न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–94/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मिट्ठन लाल दत्तक पुत्र सुन्दरी (मृतक) वारिसान –
1/1. गिर्राज प्रसाद पुत्र मिट्ठनलाल,
1/2. कमलेश कुमार पुत्र मिट्ठनलाल,
1/3. लाली पुत्री मिट्ठनलाल,
1/4. प्रेम पुत्री मिट्ठनलाल,
1/5. फप्फो उर्फ गुलाब पुत्री मिट्ठनलाल,
1/6. काली उर्फ लक्ष्मी पुत्री मिट्ठनलाल,
1/7. जड़ाव देवी पत्नि मिट्ठनलाल जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. महादेव पुत्र ग्यारसीलाल,
2. श्रीमती शांति देवी बेवा भगवान,
3. तेजपाल पुत्र श्री भगवान,
4. गोपी पुत्र श्री भगवान जातियान बांगड़ा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।
5. श्रीमती उगन्ता पुत्री भगवान पत्नि मुरारी जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।
6. श्रीमती मुन्नी पुत्री भगवान पत्नि श्री बाबूलाल जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाज जिला अलवर राज0 ।
7. श्रीमती गा पुत्री भगवान पत्नि श्री रोहिताश जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम थानागाजी जिला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।
8. श्रीमती कोयम पुत्री भगवान पत्नि श्री बाबूलाल जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।
9. सोहन पुत्र ग्यारसा जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।
10. तहसीलदार थानागाजी बहैसियत लैण्ड होल्डर थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री देवी सहाय शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री नरेश कुमार शर्मा रेस्पो0 सं0 1 ल0 9

::: निर्णय :::

दिनांक :–05.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 हाल 63 रकबा 0.09 है0, 65 रकबा 1.78 है0, 129 रकबा 0.38 है0, 130 रकबा 0.57 है0, 145 रकबा 0.04 है0, 146 रकबा 1.81 है0 जो जमाबन्दी सम्वत् 2060 के खाता सं0 59 में तथा आराजी ख0 नं0 64 रकबा 0.05 है0 गैर मुमकिन चाह जो जमाबन्दी 2060 के खाता सं0 58 वाके ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ल0 8 के पति व पिता श्री भगवान का व प्रतिवादी सं0 9 सोहन का 1/2 हिस्सा है जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2060 के खाता सं0 59 व 58 में अभिलेख दर्ज है जो समस्त नम्बर विवादित आराजी है तथा ख0 नं0 64 रकबा 0.05 है0 केवल गैर मुमकिन चाह है जिसमें आधा हिस्सा हम वादी व प्रतिवादीगण का तथा शेष रामेश्वर पुत्र गोपी व बद्री, भगवान रिछपाल और बद्री की भी हिस्सेदारी है लेकिन उनसे कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है तथा वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग विभाजित है । विवादित आराजी के तरफ उत्तर को एक सड़क पुख्ता जो हरनेर से रूपू का बास को जाती है, पुख्ता नहीं है जिसमें ख0 नं0 129 का भाग गया हुआ है व ख0 नं0 146 के तरफ पूर्व को सड़क ग्रेवल बनी हुई है । इस कारण इन खसरा नम्बरान के तरफ उत्तर व पूर्व को सड़क बनी होने के कारण सड़क के तरफ की आराजी अधिक कीमती व महत्वपूर्ण बन गयी है और वह इसके बाद अन्दर की तरफ ख0 नं0 63, 65, 64 सड़क से दूर है इसलिए उनकी कीमत तुलनात्मक रूप से कम है । अब प्रतिवादीगण के मन में विवादित आराजी के बाबात बदयान्ति आ गयी है और वह पक्की सड़क व ग्रेवल सड़क के साथ–साथ लगने वाली आराजी पर स्वयं काबिज होना चाहता है तथा हर फसल पर वक्त बीज़ारोपण झगड़ा करता है तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है । इसलिए विवादित आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अर्थात अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन करने तथा अलग–अलग खाता व लगान कायम कराना चाहता है । इसलिए वाद वादीगण डिक्री फरमाने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया वकील प्रतिवादीगण द्वारा दावा डिक्री करने में सहमति जाहिर की कि रेकार्ड में दर्ज हिस्सा व मौका कब्जा अनुसार दावा प्रारम्भिक डिक्री कर दिया जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 19.05.2017 को दावा वादी सहमति के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 19.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादी का स्वर्गवास दि0 1.11.2014 को हो गया है तथा अपीलांटान जो कि मृतक वादी के वारिसान है को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम 13.11.2017 को हुई जबकि रेस्पो0 ने अपीलांट से जाहिर किया किं अधीनस्थ न्यायालय द्धारा वादी द्धारा प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प हरनेर में स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । इसलिए मियाद के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । साथ में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी है ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस में आगे कहा कि विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा शेष अन्य प्रतिवादीगण का है एवं सभी अपने–अपने हिस्से पर शामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा विवादित आराजी का कोई बंटवारा नहीं हुआ है । सभी अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मुताबिक हिस्सा राजस्व रेकार्ड तकसीम डिक्री चाही है । दौराने वाद वादी का स्वर्गवास दि0 1.11.2014 को हो गया तथा उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्धारा अपना जवाब पेश किया गया । प्रतिवादी तथा उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्धारा अपना जवाब पेश किया गया । प्रतिवादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 19.5.2017 को साजबाज होकर उक्त वाद को राजस्व कैम्प हरनेर में रखवाते हुए अपने जवाब के मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर ली जबकि मृतक पक्षकार के विरूद्ध कानूनन वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है ।

तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी स्वयं उपस्थित एवं डिक्री में अंकित किया है कि दावा वादी की सहमति के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है जबकि वादी का स्वर्गवास दि0 1.11.2014 को हो गया था जिसका इन्तकाल विरासत सं0 120 दि0 27.11.2015 को दर्ज व स्वीकार कर लिया जिसका अमल हाल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में भी किया जा चुका है जिससे यह बखूबी साबित है कि प्रतिवादीगण द्धारा बमिल्लत उक्त डिक्री पारित करायी है । इस प्रकार जवाब वादी वक्त डिक्री जीवित ही नहीं था तो उसका उपस्थित होने का एवं सहमति प्रदान रने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जबकि नियमानुसार राजस्व कैम्प में उभयपक्षकारान की सहमति व राजीनामा के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है । उक्त विवादित आराजी में अपीलांट का हित निहित है तथा उक्त निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है । विवादत आराजी का बंटवारा पहले से ही हो चुका है एवं उसी प्रकार हमारे राजस्व रेकार्ड बंटवारा कर कुरेजात कायम कर दिया जावें । प्रतिवादी/रेस्पो0 विवादित आराजी के सह काश्तकार खातेदार हैं और वादी/अपीलांठ इस झूंठे दावा की आड़ में प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को किसी भी आज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं हैं ।

प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने वादी/अपीलांट को बंटवारा करने से मना नहीं किया बल्कि प्रतिवादीगण मौके कब्जे के आधार पर बंटवारा कराने हेतु सहमत हैं । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने कई बार वादी/अपीलांट को विधिक तकासमा मौके कब्जे के अनुसार कराने को कहा लेकिन वादी/अपीलांट कभी सहमत नहीं हुए । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 आज भी उक्तानुसार विवादित आराजी का बंटवारा कराने हेतु सहमत है । जिमन नं0 3 में वर्णितानुसार बंटवारा करने से वादी/अपीलांट को कोई ऐतराज नहीं हो तो बंटवार कर अलग–अलग खाते कायम कर दिये जावें तथा कुरेजात कायम कर दिया जावें । तहत न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 का अवलोकन किया ।

पत्रावली तथा तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया । अपीलांट के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र दफा 96 सी.पी.सी. का भी अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य बिन्दू बहस में यह है कि विभाजन के वाद में अपीलांट के पिता को पक्षकार मुकदमा बनाया है और उनकी सहमति से प्रारम्भिक डिक्री भी जारी कर दी है जबकि अपीलांट के पिता पहले ही फौत हो गये हैं तथा यह प्रारम्भिक डिक्री मृतक के विरूद्ध पेश की है । इसकी जानकारी होते ही अपीलांट नें 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ तथा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है ।

अपीलांट ने पक्षकार बनाये जाने व पुनः दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री करने क इस्तदुआ की है । रेस्पो0 अभिभाषक ने इन बिन्दुओं का खण्डन नहीं किया है ।

अपीलांट अभिभाषक की बहस कानून सम्मत है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य है । अतः अपील अपीलांट प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. का व मियाद अधिनियम के प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को मृतक वादी के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर उनसे जवाब प्राप्त कर अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर